प्रेस विज्ञप्ति

10.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू कार्यालय ने हिज्बुल मुजाहिदीन की विध्वंसक गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े नार्को-आतंकवाद से जुड़े एक मामले में 09.09.2024 को लाडी राम को गिरफ्तार किया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नामित पीएमएलए कोर्ट), जम्मू की माननीय अदालत ने उनकी ईडी हिरासत को 04 दिनों के लिए मंजूर कर लिया है।

ईडी ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी अरशद अहमद अल्ली, फैयाज अहमद डार लाडी राम और अन्य शामिल आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दायर एफआईआर और आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की। 2019 में पुलिस अधिकारियों द्वारा एक नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया, जिससे ड्रग्स और अवैध नकदी की जब्ती और पहचान हुई।

ईडी की जांच में ड्रग तस्करी और आतंकवाद की मिलीभगत के नेटवर्क का खुलासा हुआ। नार्को-टेरर लिंकेज में सहायक व्यक्ति के रूप में लाडी राम ने अरशद अहमद अल्लाई से सीमा पार से तस्करी की गई दवाएं प्राप्त कीं, उन्हें पंजाब और जम्मू-कश्मीर में वितरित किया और बेचा। उसने बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से अवैध धन के रूप में अपराध की आय (POC) को अरशद अहमद अल्लाई को वापस भेज दिया। ऐसी पीओसी प्राप्त करने के बाद, अरशद अहमद अल्लाई ने इसे विध्वंसक गतिविधियों के एकमात्र उद्देश्य के लिए हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों के हाथों में सौंप दिया।

मामले में बैंक खातों की लेन-देन प्रोफाइलिंग से पता चला कि नशीली दवाओं की बिक्री के माध्यम से भारी मात्रा में नकदी जमा की गई थी, जिसे कई संदिग्ध परस्पर लेन-देन के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जिससे धन के वास्तविक स्रोत और प्रकृति को छिपाया गया था।

इस मामले में आपराधिक संचालकों, अरशद अहमद अल्लाई और फैयाज अहमद डार की पिछली गिरफ्तारी के बाद, इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है।

आगे की जांच जारी है।